

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 448 / 2011
संस्थान दिनांक 09.09.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

राजेश उर्फ पंकज पिता भँवरसिंह,
आयु 25 वर्ष, निवासी-ग्राम घेड़ावत,
थाना धार, जिला धार म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 03.09.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 115/2011 अंतर्गत 279, 337, 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 09.09.2011 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 23.06.2011 को 3:00 बजे, भोंगली नदी पुल के पास, ए.बी. रोड़ फोरलेन ग्राम बरूफाटक में वाहन इंडिका कार क्रमांक एम.पी. 09 सी.सी. 5551 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण का मानवजीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से फरियादी जितेन्द्र को उपहति कारित करने, उक्त वाहन से कैलाश का जीवन संकटापन्न होना संभव बनाकर उसे टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279, 337 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता ने मृतक कैलाश का शव परीक्षण प्रतिवेदन एवं यांत्रिकीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकार किये जिस पर प्रदर्शपी 8 एवं प्रदर्शपी 9 अंकित किया गया।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 22.06.2011 को फरियादी जितेन्द्र, बंटी, घनश्याम, कैलाश एवं रमेश के साथ इंडिका कार क्रमांक एम.पी. 13 सी.ए. 1388 से सारंगपुर से शिर्डी साईबाबा के दर्शन करने जा रहे थे, उक्त कार को घनश्याम चला रहा था। उनकी वाहन ग्राम बरूफाटक के आगे भोंगली नदी पुल के पास ए.बी. रोड़ फोरलाईन पर पहुँचें और वहाँ पर वाहन को खड़ी की जिसमें बैठे रमेश, बंटी, व घनश्याम पेशाब करने के लिए वाहन से उतरकर चले गये। वाहन में फरियादी जितेन्द्र व कैलाश बैठे थे, तभी पीछे से ठीकरी की ओर से एक वाहन इंडिका कार क्रमांक एम.पी. 09 सी.सी. 5551 का चालक अपनी कार को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया व फरियादी की इंडिका को टक्कर मार दी जिससे कैलाश को चोंटे आई तथा फरियादी जितेन्द्र को दाहिने पैर में चोंटे आई। कैलाश को अत्यधिक चोंटे आने से उसे इन्दौर रेफर किया। पुलिस ने फरियादी जितेन्द्र द्वारा दी गई घटना की रिपोर्ट के आधार पर वाहन इंडिका कार क्रमांक एम.पी. 09 सी.सी. 5551 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 115/2011 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी जितेन्द्र की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने घटनास्थल से वाहन इंडिका कार क्रमांक एम.पी. 09 सी.सी. 5551 को जप्त कर प्रदर्शपी 5 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त के पेश करने पर उक्त वाहन के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 6 का जप्ती पंचनामा बनाया। पुलिस ने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये तथा चिकित्सा के दौरान कैलाश की मृत्यु होने पर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 304-ए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 23.06.2011 को 3:00 बजे, भोंगली नदी पुल के पास, ए.बी. रोड़ फोरलेन ग्राम बरूफाटक में वाहन इंडिका कार क्रमांक एम.पी. 09 सी.सी. 5551 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण का मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी जितेन्द्र को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

3. क्या आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर कैलाश का जीवन संकटापन्न होना संभव बनाकर उसे टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी जितेन्द्र (अ.सा.1), घनश्याम (अ.सा.2), बंटी उर्फ वासुदेव (अ.सा.3), डॉ. दुर्गासिंह चौहान (अ.सा.4), उपनिरीक्षक आर.एन. कुशवाह (अ.सा.5) एवं बबनराव चौधरी (अ.सा.6) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में फरियादी जितेन्द्र अ.सा. 1 ने अपने कथन में बताया कि अभियुक्त को नहीं जानता है। घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व की है। घटना वाले दिन वह, बंटी, कैलाश एवं रमेश तथा चालक घनश्याम सारंगपुर से शिर्डी इंडिका कार से जा रहे थे। ठीकरी के पास ग्राम बरूफाटक में उन्होंने वाहन को सड़क के किनारे बाथरूम जाने के लिए खड़ा कर दिया था, वाहन से वह तथा कैलाश नीचे नहीं उतरे थे, तभी पीछे से आ रहे वाहन क्रमांक एम.पी. 09 सी.सी. 5551 के चालक ने आकर उनके वाहन को टक्कर मार दी थी, जिससे उनके पैर में चोट लगी थी तथा कैलाश को भी चोटें आई थीं। कैलाश की वाहन के अंदर बेहोश हो गया था। कुछ समय बाद कैलाश की मृत्यु हो गई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीरकी पर की थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस को उसने प्रदर्शपी 2 का घटनास्थल बताया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटना की रिपोर्ट सुबह कैलाश को अंजड़ पहुँचाने के बाद की थी। वह अपनी वाहन का क्रमांक नहीं बात सकता है। उसने वाहन का क्रमांक पुलिस को नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने वाहन का

क्रमांक नहीं देखा था, लेकिन साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक को अंधेरा होने के कारण नहीं देख पाया था। वह वाहन में सामने की ओर से देख रहा था, इसलिए टक्कर मारने वाला वाहन कैसे चल रहा था, यह नहीं देख पाया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रहा है या उनका वाहन सड़क पर बिना पार्किंग लाइट चालु हुए खड़ा था।

8. घनश्याम असा 2, बंटी असा 3 ने भी दुर्घटना में जितेन्द्र एवं कैलाश को चोटें आने एवं कैलाश की मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने घनश्याम असा 2 ने स्वीकार किया कि उसने उनके वाहन को टक्कर मारने वाली कार का क्रमांक एम.पी. 09 सी.सी. 5551 बताया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने प्रदर्शपी 3 के कथन में वाहन चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाने की बात बताई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल पर अंधेरा था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनकी वाहन की पार्किंग लाइट चालु नहीं थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

9. बंटी असा 3 ने बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उनका वाहन हाईवे रोड़ पर परिवर्तित मार्ग पर खड़ा नहीं था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने वाहन की टक्कर होते हुए नहीं देखी थी, इसलिए यह नहीं बता सकता कि टक्कर मारने वाला वाहन किस गति से आया था। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्शडी 2 में वाहन का क्रमांक एवं चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने वाली बात नहीं लिखाई थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनका वाहन ए.बी. रोड़ के मध्य में खड़ा हुआ था अथवा वाहन की पार्किंग लाइट चालु नहीं थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल पर अंधेरा होने के कारण टक्कर मारने वाले चालक को नहीं देखा था और उसे पहचान भी नहीं सकता है।

10. बबनराव चौधरी असा 7 का कथन है कि दिनांक 23.06.11 को थाना ठीकरी में जितेन्द्र द्वारा इंडिका कार क्रमांक एम.पी. 09 सी.सी. 5551 के चालक के विरुद्ध उनकी वाहन क्रमांक एम.पी. 46 सी.ए. 1386 को टक्कर मारने के संबंध में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जिसके आधार पर उसने अपराध क्रमांक 115/11 प्रदर्शपी 1 का अपराध दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखाई थी अथवा उसने रिपोर्ट में बी से बी भाग वाली बात असत्य लिखी है।

11. आर.एन.कुशवाह असा 6 का कथन है कि दिनांक 23.06.11 को वह थाना ठीकरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसने थाने के अपराध क्रमांक 115/11 की विवेचना के दौरान घटनास्थल बरूफाटक पहुँचकर जितेन्द्र की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल से दुर्घटना कारित करने वाली इंडिका कार क्रमांक एम.पी. 09 सी.सी. 5551 प्रदर्शपी 5 के अनुसार जप्त किया था। उसने अभियुक्त से उक्त कार के दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 6 के अनुसार जप्त की थी। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा कैलाश की मृत्यु की सूचना थाना विजय नगर इन्दौर से प्राप्त होने पर भा.द.स. की धारा 304-ए बढ़ाई गई तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे फरियादी जितेन्द्र एवं साक्षी घनश्याम, बंटी एवं रमेश ने कोई कथन नहीं दिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने किसी साक्षी से अभियुक्त की पहचान नहीं करवाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा तेजी एवं लावारहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाली बात नहीं बताई थी।

12. डॉ. दुर्गासिंह चौहान असा 4 का कथन है कि दिनांक 23.06.11 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में पदस्थ था। उक्त दिनांक को जितेन्द्र को आरक्षक सूरजसिंह द्वारा मेडिकल परीक्षण पर लाये जाने पर उसने आहत के दाहिनी जांघ पर दर्द होना पाया था। उक्त चोटें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से 24 घंटे के भीतर आना प्रतीत होती थी। उसने आहत को आगामी चिकित्सा हेतु जिला चिकित्साल बड़वानी भेजा था। साक्षी ने आहत का मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 भी प्रमाणित किया है।

13. इस प्रकरण में फरियादी जितेन्द्र असा 1, घनश्याम असा 2 एवं बंटी असा 3 का स्पष्ट कथन है कि उन्होंने घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक को नहीं देखा था, क्योंकि उस समय अंधेरा था। आर.एन.कुशवाह असा 6 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने किसी भी साक्षी से अभियुक्त की पहचान नहीं करवाई थी। परीक्षित उक्त साक्षियों का यह भी कथन नहीं है कि घटना के समय उक्त वाहन का चालक उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चला रहा था, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा ही घटना दिनांक समय व स्थान पर दुर्घटना कारित करने वाली कार एम.पी. 09 सी.सी. 5551 को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर उसकी टक्कर फरियादीगण को मारकर जितेन्द्र को उपहति कारित की तथा कैलाश पिता मांगीलाल की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है, तो अभियुक्त पर आरोपित अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है या अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त राजेश उर्फ पंकज के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 337, 304-ए भा.दं.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन वाहन इंडिका कार क्रमांक एम.पी. 09 सी.सी. 5551 को उसके पंजीकृत स्वामी सुरेश सेवाल पिता चन्द्रभान सेवाले, निवासी-इन्दौर म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी